न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–22.01.2021

मिशल संख्या 367/2017

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. छोटी देवी पत्नी रामकुंवार उर्फ रामपाल जाति गुर्जर निवासी नई बस्वी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. लली पुत्री रामकुंवार उर्फ रामपाल जाति गुर्जर निवासी नई बस्वी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तुलसी पुत्री रामकुंवार उर्फ रामपाल जाति गुर्जर निवासी नई बस्वी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रामराज पुत्र रामकुंवार उर्फ रामपाल जाति गुर्जर निवासी नई बस्वी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्राथीगण –

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी –

उपस्थिति :–
श्री छीतर सिंह नाथावत
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 1

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता व पति को रामकुंवार एवं रामपाल इन दोनो नामो से जाना जाता है तथा यह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जो प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामकुंवार उर्फ रामपाल पुत्र रामकिशन गुर्जर की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि हाल खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.70 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम बनेड़िया खुर्द पटवार हल्का साण्डला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति रामकुंवार उर्फ रामपाल का 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार खाता संख्या 300 खसरा नम्बर 241 रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर की मृत्यु दिनांक 17.11.2009 को हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण है तथा प्रार्थीगण के आलवा मृतक रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर ही अंकित है। प्रार्थीगण के पिता व

...त के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर ही अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत थांवला द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मे भी प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर ही अंकित है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर की मृत्यु के बाद विरासत का जो नामांतकरण खोला गया है जिसमे ग्राम बनेड़िया खुर्द की आराजी भूमि मे नामांतकरण संख्या 624 दिनांक 19.02.2010 मे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामकुंवार अंकित है तथा ग्राम थांवला की आराजी भूमि मे नामांतकरण संख्या 1450 दिनांक 20.12.2009 में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामपाल अंकित है इससे साफ जाहिर होता है कि रामकुंवार एवं रामपाल एक ही व्यक्ति है जो प्रार्थीगण के पिता व पति है। प्रार्थीगण के पिता व पति को दोनो नामो से जाने जाने के कारण सहवन से ग्राम बनेड़िया खुर्द की आराजीयात मे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामकुंवार तथा ग्राम थांवला की आराजी भूमि मे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामपाल अंकित हो गया है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामकुंवार उर्फ रामपाल गुर्जर अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिससे लिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा मे पेश है।

प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अलग–अलग होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है तथा ऋण लेने मे भी परेशानी हो रही है।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–बिन्दु नं. 1:– वादीगण को कथन है कि मेरे पिता व पति का राम रामकुवार व रामपाल एक ही है। जबकि जमाबन्दी बनेड़िया खुर्द मे रामकुवार पुत्र रामकिशन व ग्राम थांवला मे रामपाल पुत्र रामकिशन दर्ज है जो दोनो नाम भिन्न–भिन्न दर्ज है। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 2:– वादीगण का चरण द्वितीय आंशिक स्वीकार है। एक ग्राम मे रामकुवार व एक ग्राम मे रामपाल दर्ज है। बिन्दु नं. 3:– वादीगणो के पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र रजि.क्रमांक 40/2013 रजि. दिनांक 17.11.09 को रामकुवार उर्फ रामपाल का जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत ने भी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। वारिस प्रमाण पत्र वैद्य सबूत नही है। बिन्दु नं. 4:– चरण स्वीकार है। पटवारी हल्का द्वारा नामां0 संख्या 624 व 1450 मे रामकुवार व रामपाल का नाम स्वीकृत हेतु अमल हो चुका है। अतः नामा0 की अपील योग्य है। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 5:– चरण नम्बर 6 से 9 न्यायालय से सम्बन्धित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता/पति को गांव वाले दोनो नामो से ही पुकारते थे। इसलिए बनेड़िया खुर्द ग्राम के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम रामकुंवार व थांवला

न में रामपाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अंकित कर दिया। इस तरह दो नाम होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस व रिपोर्ट पर मनन किया। प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण के पिता/पति रामकुंवार व रामपाल एक ही व्यक्ति है। नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बनेड़िया खुर्द के नामान्तकरण संख्या 624 व जमाबन्दी सम्वत 2065–68 के खाता संख्या 167 में रामकुंवार पुत्र रामकिशन व नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम थांवला के नामान्तकरण संख्या 1450 व जमाबन्दी सम्वत 2063–66 के खाता संख्या 324 में रामपाल पुत्र रामकिशन दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त से स्पष्ट हे कि प्रार्थीगण के पिता का नाम नामान्तकरण खोलते समय रामकुंवार/रामपाल दर्ज रिकॉर्ड हो गया, जिसके लिए प्रार्थीगण को धारा 136 एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत पेश नहीं कर, नामान्तकरण अपील पेश करनी चाहिए । अतः उक्त प्रार्थना पत्र एल. आर. एक्ट की धारा 136 के नियमो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली